<u>प्र.सं. 64/2021 भंवरलाल बनाम सरकार</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 64 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृशि भूमि राजस्व ग्राम मजावद में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1532 व 1536 थे, जिसमें से 5 बीघा भूमि का आवंटन वादी के पिता को दिनांक 17.10.1977 को किया जाकर वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त साबिक आराजी के हाल आराजी नंबर 1829 रकबा 9.0000 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1840 रकबा 0.6900 हैक्टर बने है, जिसमें से आराजी नंबर 1829 में से 0.3900 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1840 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल 1.0800 हैक्टर का स्वामित्व वादी का है। आवंटन अनुरूप वादी के पिता के खातेदारी अधिकार जरिये नामान्तरकरण संख्या 429 दर्ज किया गया एवं जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम दर्ज किया गया, किन्तु विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं एवं भूमि बिलानाम दर्ज है। वादी का कब्जा 1977 से होने से वादी एडवर्स पजे ान के आधार पर भी खातेदार हो चुका है। अतः विवादित आराजी नंबर 1829 में से 0.3900 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1840 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल 1.0800 हैक्टर का वादी को खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपी[illegible] अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र कयासी आधारों पर खातेदारी अधिकारों का वाद बिना साक्ष्य [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:28 IST
Reason: SelfAttested

लिये निरस्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोशित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2021 प्रकरण दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पे ाी दिनांक 16.08.2021 नियत कर बिना साक्ष्य सबूत के खातेदारी अधिकारों का वाद खारिज कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 70/2021 निर्णय दिनांक 16.08.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:28 IST
Reason: SelfAttested